Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में ग्राम विकास अधिकारी 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 सितम्बर, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये धर्मराज सैनी ग्राम पंचायत कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज पचेवर, पं. स. मालपुरा, जिला टोंक को परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी किश्त जारी करने की एवज में धर्मराज सैनी ग्राम पंचायत कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज पचेवर, पं.स. मालपुरा, जिला टोंक द्वारा परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये धर्मराज सैनी पुत्र श्री जगदीश लाल सैनी निवासी ग्राम पोस्ट अलयारी तहसील टोड़ारायसिंह, जिला टोंक हाल ग्राम पंचायत कलमण्डा अतिरिक्त चार्ज पचेवर, पं.स. मालपुरा, जिला टोंक को परिवादी से **15 हजार रुपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।